न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौंली स0मा0

पीठासीन अधिकारी का नाम :– विजेन्द्र कुमार मीना आर0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 43/2016

1. सम्पत सिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी –थनेरा तहसील बौंली
2. भवानी सिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी –थनेरा तहसील बौंली
3. मदनसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी –थनेरा तहसील बौंली
4. हरिसिंह पिता जगन्नाथ सिंह जाति राजपूत निवासी –थनेरा तहसील बौंली

प्रार्थीगण

बनाम

1. दौलत सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी शान्ती नगर एन0बी0सी0 क्वाटर्स एस0डी0 208 हटवाडा रोड सोडाला जयपुर ।
2. गणपत सिह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी शान्ती नगर एन0बी0सी0 क्वाटर्स एस0डी0 209 हटवाडा रोड सोडाला जयपुर ।
3. राजेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी मकान नम्बर सी0 268 खातीपुरा पांच्याला सिंह भूमि कॉलोनी राममन्दिर के पास जयपुर
4. चान्द कंवर पुत्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत पत्नि भगवानसिंह निवासी तलावगॉव तहसील लालसोट जिला दौसा ।
5. मोहन कंवर पुत्री रघुवीर सिंह जाति राजपूत पत्नि मदन सिंह राठोड निवासी सातोलास तहसील केकडी जिला अजमेर
6. नरपत सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी जैन वाटिका बालाजी मन्दिर के पीछे वाटिका रोड प्लाट नम्बर 219 ए जयपुर ।
7. विक्रम सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी जैन वाटिका बालाजी मन्दिर के पीछे वाटिका रोड प्लाट नम्बर 219 ए जयपुर ।
8. विपिन सिंह पुत्र कल्याण सिंह निवासी जैन वाटिका बालाजी मन्दिर के पीछे वाटिका रोड प्लाट नम्बर 219 ए जयपुर ।
9. भवर सिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी शान्ती नगर एन0बी0सी0 क्वाटर्स एस0डी0 202 हटवाडा रोड सोडाला जयपुर ।
10. सावतसिंह पुत्र नन्दसिंह जाति राजपूत निवासी शान्ती नगर एन0बी0सी0 क्वाटर्स एस0डी0 202 हटवाडा रोड सोडाला जयपुर ।
11. चिमन सिंह उर्फ प्रदीप सिंह पुत्र स्व. रामसिंह जाति राजपूत निवासी सी . 346 अमर नगर सिरसी रोड पांच्यावाला जयपुर
12. ओमेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रामसिंह जाति राजपूत निवासी सी . 346 अमर नगर सिरसी रोड पांच्यावाला जयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

सम्पत सिंह वगै0 बनाम दौलत सिंह वगै0

13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील बौंली जिला स0मा0
14. उप तहसीलदार उप तहसील मित्रपुरा तहसील बौंली जिला स0मा0।

अप्रार्थीगण

वकील प्रार्थी :– श्री नरेन्द्र कुमार गोयल एडवोकेट

वकील अप्रार्थीगण 1 ल0 5 :– श्री वी.पी. सिंह राजावत एडवोकेट

आदेश दिनांक :– २५/९/१८

वकुलाय फरीकेन उप0 । बहस अन्तिम सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि वादग्रस्त आराजियात ग्राम थनेरा तहसील बौंली के खाता सं0 75 के ख0 नं0 219 ,293,296,297,298,299,300,301,304,305,306,307,308,309 व 310 कुल किता 15 कुल रकबा 10.06 हैक्टेयर प्रार्थीगण की पुस्तैनी आराजीयात थी जो स्व0 ठुकरानी जोधी जी की खातेदारी की भूमि थी जो संवत् 2018–2021 के खाता नं0 45 के खसरा नं0 55 ,95,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108 व 179 से बने है। उक्त सम्पत्ति में हम प्रार्थीगण का विरासतन हिस्सा 4/15 बनता है जिस पर हमारा कब्जा काश्त मौजूद है अतः अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे उक्त भूमि को रहन बेचान नहीं करें एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें । इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 लगा0 5 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त सम्पत्ति स्व0 ठुकारानी जोधी जी की निजी (हवाला) की सम्पत्ति थी जिसे दान या वसीयत करने का उन्हें पूरा अधिकार था। ऐसे में स्व0 ठुकरानी जोधी जी ने अपने हस्ताक्षर से उपस्थित मोतबिरान व संरपच ग्राम पंचायत मित्रपुरा के समक्ष दि0 05.05.1959 को एक वसीयतनामा तहरीर किया था जिस पर स्वयं प्रार्थीगण के पिता स्व0 जगन्नाथ सिंह के हस्ताक्षर मौजूद है साथ ही दि0 16.11.1961 को डिप्टी कलेक्टर जागीर, सवाई माधोपुर द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर नामान्तकरण सं0 34 दि0 24.06.1963 के आधार पर हम अप्रार्थीगण के पिता के नाम खातेदारी आई है जिन दस्तावेजात के विरुद्ध आज दिन तक प्रार्थीगण द्वारा कोई अपील अथवा निगरानी नहीं की गई है। एवं वकील अप्रार्थीगण ने एक राजीनामा दि0 11.09.1994 की प्रति प्रस्तुत कर ध्यान आकर्षित कर बताया कि उक्त राजीनामा पर पंच पटेलान के समक्ष स्वयं प्रार्थीगण ने अपने हस्ताक्षर कर यह स्वीकार किया है कि विवादित समस्त आराजियात पर अप्रार्थीगण का ही स्वामित्व एवं कब्जा काश्त है जिस पर हम कोई विवाद नहीं करेगें ऐसे में प्रार्थीगण के पिता, एवं स्वयं प्रार्थीगण के क्रमशः वसीयत एवं राजीनामे पर हस्ताक्षर होने से कानूनन बाध्य है अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस , पत्रावली व उस पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किया । पत्रावली पर मौजूद रिकार्ड से खातेदारी स्व0 ठुकरानी जोधी जी की होना निर्विवाद है परन्तु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत विवादित भूमि का विज

Scanned by CamScanner

पैतृक साबित करने का भार प्रार्थीगण पर है वहीं अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये तीन चीजें साबित करना भी आवश्यक है प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति । ऐसे में प्रार्थी अपने दस्तावेजात एवं मौखिक बहस के द्वारा उक्त भूमि ठुकरानी जोधी जी को किस प्रकार विरासत में प्राप्त हुई यह साबित करने में विफल रहे है जबकि अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 5 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह जाहिर होता है कि विवादित भूमि स्व0 ठुकरानी जोधी जी की निजी (हवाला) की भूमि थी जिसे उन्होंने दि0 05.05.1959 को प्रार्थीगण के पिता स्व0 जगन्नाथ सिंह की मौजुदगी एंव हस्ताक्षरित सहमति से जरिये वसीयत अप्रार्थीगण के पिता स्व0 रघुवीर सिंह को दी है जो करीब साठ वर्ष पुराना दस्तावेज है जिसकी सत्यता पर आज संदेह नहीं किया जा सकता साथ ही दि0 16.11.1961 के माननीय डिप्टी कलेक्टर जागीर सवाई माधोपुर के द्वारा न्यायिक प्रकिया अमल में लाई जाकर जारी किए गए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पर भी संदेह का कोई औचित्त्य नहीं है जबकि उक्त दस्तावेजात के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा कोई अपील अथवा निगरानी नहीं की गई है साथ ही दि0 11.09.1994 को समाज के पंच पटेलान के समक्ष हुए राजीनामे को देखने पर भी यह तथ्य साबित होता है कि प्रार्थीगण स्वयं अप्रार्थीगण की खातेदारी एंव कब्जे काश्त को जायज मानते है एवं विपक्षी द्वारा कब्जा मानने से बड़ा कब्जे का और कोई सबूत नहीं है स्वयं प्रार्थीगण अपने व अपने पिता के हस्ताक्षर द्वारा स्वीकार किये गये तथ्य आज उन स्वयं पर बाध्यकारी है। वकील प्रार्थी द्वारा वसीयत के अनरजिस्टर्ड होने की बात कही गई जिस पर वकील अप्रार्थीगण द्वारा RRD 1986 पेज 135 व RRD 1984 पेज 391 प्रस्तुत कर बताया कि वसीयतकर्ता यदि राजस्थान का निवासी है तो वसीयत रजिस्टर्ड अथवा प्रोबेट कराने की आवश्यकता नहीं है जिन नजीरों से प्रतिकूल नजीरो के अभाव में हम पूर्णतयः सहमत है ऐसे में प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण साबित करने में असफल रहें है इसी कारण सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के बजाये अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 5 के पक्ष मे साबित होता है वहीं बिना किसी ठोस सबूत के खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से कानूनन पाबन्द नहीं किया जा सकता अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन की रोशनी में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाते है लिहाजा यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली मूल वाद के साथ हमफीता की जावे।

निर्णय दिनांक 24/5/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner